न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 95/2017 (225 आरटीए) गोरखाराम वगै. बनाम हरचंदराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00195)

1 गोरखाराम पुत्र गुलाराम,
2 खेंताराम पुत्र श्री गोरखाराम,
जाति भील निवासीगण सोमेसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 हरचंदराम पुत्र श्री पांचाराम जाति भील निवासी ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
2 खेताराम पुत्र श्री अचलाराम,
3 भोमाराम पुत्र श्री अचलाराम,
4 विक्रम पुत्र श्री इन्द्राराम,
5 अनीता पुत्री श्री इन्द्राराम,
6 मिथ्यादेवी पत्नी श्री इन्द्राराम
(रेस्पो. सं. 3 से 5 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता मिथ्या देवी।)
7 जसाराम पुत्र श्री मोतीराम,
8 उगमाराम पुत्र श्री मोतीराम,
9 नखताराम पुत्र श्री मोतीराम,
10 शांताराम पुत्र श्री मोतीराम,
11 पपाराम पुत्र श्री मोतीराम,
12 आसूदेवी पत्नी मोतीराम
जातियान भील निवासीगण ग्राम सोमेसर तहसील शरेगढ़ जिला जोधपुर।
13 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 17.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

27/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 27.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के रेस्पो. सं. 1 द्वारा एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत पेश किया एवं उसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 27/2016 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोमेसर के खसरा नं. 9 रकबा 89 बीघा 12 बिस्वा में रेस्पो. सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्शाते हुए वाद प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायाल यने दिनांक 30.06.2016 को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया तथा अपीलांट्स के सम्मन जरिए डाक भेजने का आदेश पारित किया गया। एवं रेस्पो. सं. 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 17.05.2017 को स्वीकार कर लिया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही पारित किया गया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.07.2017 को थानाधिकारी शेरगढ़ द्वारा पूछताछ करने के दौरान हुई। तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 24.07.2017 को अपीलाधीन ओदश की नकल प्राप्त की जिससे पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी की तारीख से अपील अंदर मियाद है। इसलिए अपील पेश करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में हुई देरी को माफ करते हुए अपील को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2016 को अपीलांट व दीगर रेस्पो. सं. 2 से 13 के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजने का आदेश पारित किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 की ओर से सम्मन ही पेश नहीं किए गए एवं न ही अपीलांट को सम्मन भेजे गए। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं एकपक्षीय होने से खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 13 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण में गुणावगुण पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस अपील के साथ अपीलांट ने धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं होने से धारा–5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है :–

"*पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप सोमेसर में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के सम्मन प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण को आवाजें लगाई गईं।*

27/9
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुपस्थिति रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं स्थगन मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी रहे।"

8 उक्त आदेश के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट्स की एक पक्षीय कार्यवाही लोक अदालत कैंप में की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत कैंप हेतु अपीलांट्स को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण के तामील शुदा सम्मन भी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया जाना कि "*अप्रार्थीगण के सम्मन प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण को आवाजें लगाई गईं। अनुपस्थिति रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।*" पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है।

हालांकि लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण निस्तारित किए जा सकते हैं जिनमें राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति से पक्षकारान लोक अदालत में निस्तारण के लिए सहमत हुए हों। इस प्रकरण में इस प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीन बिंदु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु को भी विश्लेषण किए बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार प्रकरण के निस्तारण में लोक अदालत एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस प्रकार है कि "*स्थगन मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है।*" जिससे स्थगन आदेश से स्पष्ट नहीं होता है कि स्थगन आदेश में मूल वाद के निर्णय तक क्या यथावत रखने का आदेश दिया है? अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय आदेश है जो निरस्त किया जाता है। इस पकरण की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट/अप्रार्थीगण का जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ है अतः अपीलांट/अप्रार्थीगण का जबाब लेकर पुनः आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किए जाने योग्य पाया जाता है।

4/2/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र का अपीलांट/अप्रार्थीगण की ओर से जबाब लिया जाकर एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार प्रार्थना पत्र का मैरिट पर पुनः निस्तारण करें।

27/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर